

**लोक सभा**

-----

**कार्य-सूची**

**सोमवार, 29 नवंबर, 2021 / 8 अग्रहायण, 1943 (शक)**

**पूर्वाह्न 11.00 बजे**

-----

**शपथ अथवा प्रतिज्ञान**

1. निम्नलिखित सदस्य शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली पर हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे:-

- (1) श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश); और
- (2) श्री ज्ञानेश्वर पाटिल (खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश)।

-----

**निधन संबंधी उल्लेख**

2. निम्नलिखित के निधन के संबंध में उल्लेख:-

- (1) श्री बी. सेनगुट्टुवन (सदस्य, 16वीं लोक सभा);
- (2) श्री कल्याण सिंह (सदस्य, 14वीं और 15वीं लोक सभा);
- (3) श्री ऑस्कर फर्नांडिस (सदस्य, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोक सभा);
- (4) श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी (सदस्य, 7वीं लोक सभा);
- (5) श्री श्याम सुंदर सोमानी (सदस्य, छठी लोक सभा);
- (6) श्री राजनारायण बुधौलिया (सदस्य, 14वीं लोक सभा);
- (7) श्री देवव्रत सिंह (सदस्य, 14वीं लोक सभा); और
- (8) श्री हरी दानवे पुंडलिक (सदस्य, छठी और 9वीं लोक सभा)।

-----

**प्रश्न**

3. अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे।

**सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र**

निम्नलिखित मंत्री सभा पटल पर पत्र रखेंगे:-

4. श्री अश्विनी कुमार चौबे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए;
5. श्री अर्जुन नाम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के लिए;
6. श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय के लिए;

7. श्रीमती मीनाक्षी लेखी संस्कृति मंत्रालय के लिए;
8. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय के लिए;
9. श्री बी.एल. वर्मा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए; और
10. डॉ. सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय के लिए।

(अलग सूची में मुद्रित)

-----

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

11. श्री धर्मेन्द्र प्रधान निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के परिनियमों के परिनियम 8(2) के साथ पठित परिनियम 8(1)(इ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

-----

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने के लिए विधेयक

कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021

12. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रस्ताव करेंगे कि कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे।

13. नियम 377 के अधीन मामले।

-----

## विधायी कार्य

### विचार तथा पारित किए जाने के लिए विधेयक

\*कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021 /

14. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रस्ताव करेंगे कि कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

-----

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी  
(विनियमन) विधेयक, 2020 /

15. डॉ. मनसुख मांडविया प्रस्ताव करेंगे कि सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाओं का दुरुपयोग के निवारण, उनका सुरक्षित और नैतिक व्यवसाय करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

(अलग सूचियों में मुद्रित संशोधन पेश किए जाएंगे)

यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

नई दिल्ली;  
26 नवंबर, 2021  
5 अग्रहायण, 1943 (शक)

उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव

---

\*क्रम संख्या 12 के विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की स्थिति में लिया जाएगा।